

- 1 समस्त सयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राजस्थान।
- 2 समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान।
- 3 समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान।

विषय:-अनुपयोगी सामान की नीलामी/निस्तारण से प्राप्त आय की सूचना के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत समस्त कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि उनके अधीनस्थ कार्यालयों से वर्ष 2018-19 एव माह जुलाई 2019 तक अनुपयोगी सामान की नीलामी/निस्तारण से प्राप्त आय की सूचना निम्नांकित प्रारूप में 07 दिवस में प्रेषित कराने का श्रम करावे-

जोन/सीएमएचओ/पीएमओ कार्यालय का नाम.....

क्र. सं	समस्त अधीनस्थ कार्यालयों का नाम	अनुपयोगी सामान का पुस्तक मूल्य	निस्तारण से प्राप्त आय	नीलामी प्रक्रियाधीन/चालू नहीं की गई है	निस्तारण का प्रकार

नोट - अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों को सूची में शामिल किया जाना अनिवार्य है।

SV
वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक-लेखा/अनु0वा0/2019/

2753

दिनांक 27/8/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावे।
- 2 रक्षित पत्रावली।

SV
वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर